न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 05/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. राहुल पुत्र बाबुलाल 2. विवेक पुत्र बाबुलाल (जाति खटीक, निवासी ग्राम खीचन, तह0 फलौदी जिला जोधपुर)		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार फलौदी रिमाण्ड नामान्तरकरण प्र0सं0 03/2022 दिनांक 10.11.22

उपस्थित–
1. श्री अशोक परिहार, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.12.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड (नामान्तरकरण) प्रकरण सं0 03/2023 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील फलौदी स्थित ग्राम खीचन के खसरा नं0 235 रकबा 0.4856 हैक्टर भूमि में से दिनांक 21.10.2020 को जरिय पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर अपीलांट–प्रार्थी सं0 1–राहुल के पक्ष में 2/3 हिस्सा एवं प्रार्थी सं0 2–विवेक के पक्ष में 1/3 हिस्सा जरिये नामांतरकरण सं0 2574 हल्का पटवारी द्वारा भरा गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा ''उक्त ना0क0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर के हरियाणा राज्य के व्यक्तियों को बेचान किये जाने के आधार पर दर्ज किया गया है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 52 का स्पष्ट रूप से उलंघन होने से कानूनन विक्रय दस्तावेज अवैध एवं शून्य होने'' की टिप्पणी अंकित की गई। जिस पर नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा दिनांक 10.01.2021 को उक्त ना0क0सं0 2574 खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 45/2021 में पारित निर्णय दिनांक 6.1.22 द्वारा उक्त प्रकरण तहसीलदार फलौदी को सभी पक्षों की सुनवाई एवं प्रचलित विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार फलौदी द्वारा दर्ज रिमाण्ड प्रकरण में पारित निर्णय द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करते हुए ग्राम खीचन का पूर्व में निर्णित ना0क0सं0 2574 दिनांक 11.01.21 विधिवत होने से यथावत रखा गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहंत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम खीचन के खसरा नं0 235 की भूमि में से 2 बीघा भूमि अपीलांट–राहुल द्वारा दिनांक 21.10.2020 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख हरीशचन्द्र पुत्र दलाराम जटिया निवासी खीचन से खरीदशुदा है तथा 1 बीघा भूमि अपीलांट–विवेक द्वारा रेखा पत्नी केसरीमल खटीक निवासी खीचन से खरीदशुदा है। खरीददार हरियाणा राज्य का मूल निवासी है, जिसकी जाति खटीक है और यह जाति हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति की श्रेणी में है एवं विक्रेता अनुसूचित जाति से है। अपीलांट्स ने उक्त भूमि खरीद में किसी कानून का उल्लंघन नही किया है। अपीलांट्स उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है व उसके पास हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति का वैध प्रमाण पत्र भी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी द्वारा बिना किसी अधिकार के एवं अपीलांट्स–प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये ना0क0 खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स ने पंजीबद्ध बेचाननामा पेश किया गया, जिसको अवैध व शून्य घोषित करने का अधिकार धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिविल न्यायालय को है। विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर किसी कृषि भूमि के हस्तांतरण व नामांतरकरण पर रोक नही लगाई जा सकती है। अपीलार्थी पर धारा 175 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है और ना ही अपीलार्थी ने धारा 42 टिनेन्सी एक्ट का कोई उल्लंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान से बाहरी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति की जमीन को खरीद करते समय केता को सामान्य मानते हुए निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 42 टिनेन्सी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

एक्ट और राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 3(6)राज.–6/09 दिनांक 11.2.09 को पढ़ने व समझने में कानूनी व वाक्याती भूल की गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलार्थी हरियाणा राज्य का निवासी है व हरियाणा राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में आता है। हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य में नही माना जा सकता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 2.11.2009 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के अनु0जाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा राजस्थान के अनु0जाति के व्यक्ति की भूमि को क्रय करने पर राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 42–बी का उल्लंघन होने से तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण खारिज कर, ग्राम खींचन का ना0क0सं0 2574 में पूर्व निर्णय दिनांक 11.01.21 विधिवत होने से यथावत रखा गया। अतः अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार फलौदी द्वारा रिमाण्ड (नामांतरणकरण) प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 में कोई विधिक भूल प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन ना0क0सं0 2574 में तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

18.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर